



Solar Power Policy Uttar Pradesh

2013





U.P NEW AND RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY


(Department of Additional Sources of Energy, Government of Uttar Pradesh)

Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010

Phone : 0522-2720652-2720829

Website : <http://neda.up.nic.in>

Toll Free No. : 1800 180 005







Akhilesh Yadav

Chief Minister
Uttar Pradesh



Message

Uttar Pradesh has promising potential for power generation based on Solar Energy. Abundant sunshine available throughout the year can be harnessed for electricity generation. In this context, we are determined to create a conducive environment to encourage private investment in setting up solar energy based power plants in the State.

Considering the need of a policy framework to promote solar power projects, the State's Solar Energy Policy is being declared. The State is embarking upon a significant journey in the direction of power generation based on solar energy.

Under this solar Energy Policy, Solar power plants of a total capacity of 500 megawatt are targeted to be set up by 2017. Environmental benefits linked with the use of solar energy are also expected to accrue besides capacity addition in power generation through the Solar Energy Policy.

The Solar Energy Policy seeks to provide single window clearance for speedy approval at different levels of solar energy power projects. The Solar Energy Policy will ensure strengthening of the power evacuation infrastructure and its timely availability to the project developer. The Solar Energy Policy includes all these facilities in the form of a package.

I am confident that through the implementation of this Solar Energy Policy, not only the clean and green power generation based on solar energy will be promoted but also it will help in improving the standard of life in the rural areas of the State.

Akhilesh Yadav





Table of Contents

1	PREAMBLE	1
2	OBJECTIVES	4
4	GRID CONNECTED SOLAR POWER	6
4.1	PROJECT SIZE	6
4.2	SALE OF ENERGY	6
4.3	SALE OF ENERGY to THIRD PARTY	7
4.4	CAPTIVE POWER PLANTS	7
4.5	TIME-FRAME FOR IMPLEMENTATION OF PROJECTS	7
4.6	GRID CONNECTIVITY AND EVACUATION INFRASTRUCTURE	7
4.7	RESTRICTION ON USE OF FOSSIL FUEL	8
5.	SOLAR FARMS	10
6.	INCENTIVES UNDER INDUSTRIAL POLICY	10
7.	INCENTIVES FOR BUNDELKHAND REGION	10
8	TARGET CAPACITY	12
9	SINGLE WINDOW CLEARANCE SYSTEM	12
10	ROLE OF NODAL AGENCY	14
10.1	BIDDING OF PROJECTS	14
10.2	LAND BANK	14
10.3	FACILITATION FOR GOVERNMENT LAND/SPACE	14
10.4	ASSISTANCE IN OTHER INFRASTRUCTURE	14
10.5	TRAINING	14
10.6	FINANCIAL ARRANGEMENT	14
11	EMPOWERED COMMITTEE	16
11.2	FUNCTIONS OF THE EMPOWERED COMMITTEE	16
11.2.1	PERMISSION FOR BIDDING	17
11.2.2	APPROVAL OF THIRD PARTY SALE PROJECT PROPOSALS	17
11.2.3	MONITORING OF SINGLE WINDOW	17
11.2.4	COORDINATION	17
11.2.5	OTHER	17
	GLOSSARY	20





1 PREAMBLE

Electric power and its easy availability is an established benchmark of development and an essential prerequisite for all-round prosperity. No major economic activity can be sustained without adequate and reliable source of power.


In view of the fact that the conventional sources of power are fast depleting and pose a threat of environment pollution too, the challenge before the State Government is not only to meet the ever growing demand for power but also to progressively increase the share of renewable sources in the power-mix so as to achieve overall energy security.

The State of Uttar Pradesh is endowed with vast potential of solar power and the Government is keen to tap this resource to improve the availability of power in the State by promoting the establishment of solar energy based power projects, both grid connected and off-grid type. For the attainment of this goal, a comprehensive policy framework is an imperative requirement. Therefore, the Government of Uttar Pradesh adopts and announces the Solar Power Policy 2013 as under:





OBJECTIVES AND OPERATIVE PERIOD





2. OBJECTIVES

- a. To promote generation and use of clean and green power in the State by harnessing solar energy.
- b. To put in place an appropriate investment climate which could stimulate private sector participation in development of solar power
- c. To spread environmental awareness among the general public.
- d. To contribute to productive use of wastelands
- e. To enhance skills and create employment opportunities.
- f. To promote establishment of local manufacturing facilities.
- g. To build capacity in the State to initiate and sustain, use and effective management of newer technologies.

3. OPERATIVE PERIOD

This policy will come into effect from the date of issuance and shall remain in operation up to 31st March 2017. Solar power plants approved, installed and commissioned during this period alone shall be eligible for benefits of this policy. However, no benefit of this policy will be available to projects set up under any incentive scheme of MNRE.

GRID CONNECTED SOLAR POWER





4. GRID CONNECTED SOLAR POWER

Grid connected solar power projects will be implemented on suitable land banks identified and procured by the developer. In case of Projects to be set up on government land or space, selection of the developer will be done by the department or nodal agency through a transparent process.

4.1 PROJECT SIZE

Minimum five megawatt capacity solar power projects will be covered under this policy

4.2 SALE OF ENERGY

Energy generated from solar power projects that are commissioned during this policy period may be sold to distribution utility of UPPCL or to third party or used for captive purpose. Project developers who are interested in selling energy generated from Solar Power Plants to distribution utility of UPPCL will have to compulsorily participate in competitive bidding for the total megawatt capacity they wish to offer at the tariff discovered by bidding, subject to approval by UPERC.

In the event, the total aggregate capacity of the bids received is more than 200 MW selection of the bidders shall be done on the basis of lowest quoted tariff in ascending order. UPPCL will sign PPA with successful bidders for a period of ten years.

For PPAs signed as a result of competitive bidding, difference in the case of bidding tariff arrived at by UPPCL for purchase of conventional power and the price of solar power discovered through this bidding shall be payable to the distribution utility for power purchased from solar power projects for first 200 MW of solar power commissioned under this policy for a period of ten years. Budgetary support provided by the State Government to the Nodal Agency under the budgetary head “Incentive scheme for Solar Power Generation” will be utilised for these purposes.

Empowered committee constituted will oversee the overall implementation of this scheme and shall be empowered to issue any directions to remove any difficulties with regards to its implementation.



4.3 SALE OF ENERGY to THIRD PARTY

Solar Power Developers who want to set up projects under this policy and do not want to sign a PPA with distribution utility of UPPCL and want to sell power to a third party, can set up plants under this policy without a bidding process but will not be allowed to sign a PPA even at a future date with distribution utility of UPPCL. These plants, who want to avail the incentives as per this policy will have to register with the nodal agency, sign an agreement and furnish a performance bank guarantee till the commissioning of the project as per the time frame given in this policy. However, the subsidy or generation based incentive as mentioned in clause 4.2 shall not be available to such projects.

4.4 CAPTIVE POWER PLANTS

Solar power plants of above 5 MW capacity to be built for captive use will also be eligible for the incentives under this policy either within the premises of the user plant or outside with wheeling arrangement.


4.5 TIME-FRAME FOR IMPLEMENTATION OF PROJECTS

Time limit for commissioning of Solar PV projects will be within 13 months and 28 months in case of solar thermal projects from the date of signing of PPA.

4.6 GRID CONNECTIVITY AND EVACUATION INFRASTRUCTURE

The grid connectivity and associated evacuation facilities from the solar power plant substation/switchyard to distribution/transmission system “feed in substation” will be provided in accordance with UPERC (Grant of Connectivity to Intra-State Transmission System) Regulations 2010 as amended from time to time.

The responsibility of getting connectivity with the transmission system owned by the Discom/STU will lie with the Project Developer. The cost of the transmission line up to the “feed in substation” viz the point of interconnection where the metering is done shall be borne by the Solar Project Developer. This transmission line shall be constructed by the STU or Discom, whoever owns the feed in substation. However the entire cost of



transmission including cost of construction of line, wheeling charges, losses etc. will be borne by the Project Developer and will not be met by the STU/Discom.

4.7 RESTRICTION ON USE OF FOSSIL FUEL

No fossil fuel viz: coal, gas, lignite, naphtha, wood etc. shall be allowed to be used in a solar thermal power project.

**SOLAR FARMS,
INCENTIVES AVAILABLE IN
INDUSTRIAL POLICY-2012
AND
FOR BUNDELKHAND REGION**





5. SOLAR FARMS

Provision of special incentive will be made by the State Government on case to case basis for such solar farms where many power plants based on solar energy are installed and the total investment is more than Rs.500crores.

6. INCENTIVES AVAILABLE IN INDUSTRIAL POLICY-2012

All the incentives provided under the Uttar Pradesh State Industrial Policy,2012 will be applicable on the power plants based on solar energy.

7. INCENTIVES AVAILABLE FOR BUNDELKHAND REGION

Expenditure on the construction of transmission line and substation will be borne by the State Government on all the projects in the Bundelkhand region.

TARGET CAPACITY AND SINGLE WINDOW CLEARANCE SYSTEM





8 TARGET CAPACITY

Target capacity of 500 MW of Grid connected solar power plant will be achieved till March 2017.

9 SINGLE WINDOW CLEARANCE SYSTEM

Nodal Agency will act as single window clearance for Solar Power Projects. Nodal Agency will ensure that all relevant government orders pertaining to this policy are issued in a time bound manner by concerned departments. Facilitation in all clearances approvals, permissions and consents required from the State Government/its agencies will be the main task of the nodal agency as single window. Some of the tasks of single window clearance may be outsourced by the Nodal Agency. Review of pending clearances will be done by the Empowered committee from time to time.

ROLE OF NODAL AGENCY





10. ROLE OF NODAL AGENCY

The Nodal Agency will facilitate and assist the project developers and undertake the following activities to achieve the objectives of the policy:

10.1 BIDDING OF PROJECTS

The Nodal agency will be responsible for carrying out all the tasks related to bidding process for solar power projects in the state. Bidding for departments other than Energy Department who decide to set up solar power projects on land/space available with them will also be done by UPNEDA if requested by the concerned department. Departments will bear the cost related to feasibility report preparation and bid process management. Nodal Agency may charge a nominal facilitation charge for providing this service.

10.2 LAND BANK

Identification of suitable locations and creation of land bank.

10.3 FACILITATION FOR GOVERNMENT LAND/SPACE

Facilitation for allotment of suitable land/space in control of State Government or its agencies.

10.4 ASSISTANCE IN OTHER INFRASTRUCTURE

Assistance in arranging right of way, if any, water supply and connecting infrastructure like roads etc.

10.5 TRAINING

Develop appropriate manpower skills by tying up with training and educational institutions.

10.6 FINANCIAL ARRANGEMENT

Utilization of funds provided under budgetary head "Incentive scheme for Solar Power Generation" for activities like hiring of consultants for Bid process management, Outsourcing of single window system and other incentives to be made available through this policy or on any other activity or works which are required for implementation of Solar Policy in the State.

EMPOWERED COMMITTEE





11. EMPOWERED COMMITTEE

To oversee, monitor and resolve various issues arising out of this policy, an Empowered committee will be constituted under the chairmanship of the Chief Secretary of the State. The committee will have the following members:-

● Chief Secretary -	Chairman
● Infrastructure & Industrial Development Commissioner	Member
● Secretary /Principal Secretary, Additional Energy Sources	Member
● Secretary /Principal Secretary, Finance	Member
● Secretary /Principal Secretary, Planning	Member
● Secretary /Principal Secretary, Irrigation	Member
● Secretary /Principal Secretary, Revenue	Member
● Secretary /Principal Secretary, Energy	Member
● Managing Director, UPPCL	Member
● Managing Director, UPPTCL	Member
● Managing Director, Concerned DISCOM	Member
● Director, UPNEDA –	Member Secretary

11.1 FREQUENCY OF MEETINGS

The committee shall meet on a quarterly basis and also as and when required.

11.2 FUNCTIONS OF THE EMPOWERED COMMITTEE

The committee will deliberate and decide on the following issues



11.2.1 Permission for bidding

Granting permission for bidding for Solar Power Projects bid out under competitive bidding for the total megawatt capacity.

11.2.2 Approval of third party sale project proposals

All proposals of third party sale solar power projects desirous of availing incentives under this policy will be approved as eligible projects for incentives by the empowered committee.

11.2.3 Monitoring of single window

Monitoring of working of single window system.

11.2.4 Coordination

Resolve any other Inter departmental issues that may arise from time to time.

11.2.5 Other

Any other relevant matter.



A close-up photograph of a hand holding a black pen, signing a document. The pen is positioned over a signature that appears to be 'J. Smith'. The document has some blurred text visible, including the words 'The President' and 'you can specify the number of years'. The word 'GLOSSARY' is overlaid in red, bold, sans-serif capital letters with a white outline. The background is a soft, out-of-focus blue.

GLOSSARY



Glossary

1. “CERC” means Central Electricity Regulatory Commission.
2. “Distribution utility” means State owned power Distribution Company i.e. Madhayanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd, Pashchimanchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd, Dakshinanchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd or Kanpur Electricity Supply Company whichever is applicable in a particular case.
3. “Government” and “State” means the Government of Uttar Pradesh and State of Uttar Pradesh respectively.
4. “MNRE” mean Ministry of New and Renewable Energy, Government of India.
5. “Nodal Agency” means Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) designated as such by Government of Uttar Pradesh for promotion of renewable sources of energy in case of Group –I type of projects and State Irrigation Department in case of Group-II (Pilot)
6. “PPA” means Power Purchase Agreement.
7. “Transmission utility” means State owned Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd.
8. “UPERC” means Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.



सौर ऊर्जा नीति

उत्तर प्रदेश

2013





अखिलेश यादव

मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार



संदेश

उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की अपार सम्भावनाओं को देखते हुये प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास की योजनाओं का वृहद स्तर पर क्रियान्वयन करने हेतु एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिये हम प्रयासरत हैं जिसके तहत सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की परियोजनायें स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा अधिक से अधिक निवेश किया जा सके।

सौर ऊर्जा से विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये व्यापक नीतिगत ढांचा आवश्यक है जिसके लिये सौर ऊर्जा नीति घोषित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से पावर जेनरेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण यात्रा का प्रारम्भ होने जा रहा है।

इस सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना लक्षित है। सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देते हुये सौर ऊर्जा के दोहन से जुड़े पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करना भी है।

सौर ऊर्जा पर आधारित ऐसी परियोजनाओं के लिये विभिन्न स्तरों से त्वरित शासकीय अनुमति की प्रक्रिया सुलभ कराने हेतु सिंगल विन्डो क्लियरेंस की व्यवस्था करने के साथ-साथ पावर इवैक्यूएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुदृढीकरण करने के साथ-साथ उसकी विकासकर्ता को ससमय उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति में इन सब सुविधाओं को एक पैकेज के रूप में समावेशित किया गया है।

मुझे विश्वास है कि इस नीति के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा जैसे क्लीन एण्ड ग्रीन गैर परम्परागत स्रोत से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे गांव-गांव में जनमानस का जीवन खुशहाल व प्रगति शील बनेगा।


अखिलेश यादव





अनुक्रमणिका

1.	प्रस्तावना	—	1
2.	उद्देश्य	—	4
3.	संचालन अवधि	—	4
4.	ग्रिड संयोजित पावर प्लान्ट	—	6
	4.1 परियोजना क्षमता	—	6
	4.2 ऊर्जा का विक्रय	—	6
	4.3 थर्ड पार्टी को ऊर्जा विक्रय	—	7
	4.4 कैपटिव पावर प्लान्ट	—	7
	4.5 परियोजना कार्यान्वयन की समयावधि	—	7
	4.6 ग्रिड संयोजन एवं विद्युत निकासी के अवस्थापना व्यवस्था	—	8
	4.7 जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबन्ध	—	8
5	सोलर फार्म	—	10
6	राज्य औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत सुविधायें	—	10
7	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सुविधायें	—	10
8.	लक्षित क्षमता	—	12
9.	एकल विण्डो क्लीयरेंस प्रणाली	—	12
10.	नोडल एजेन्सी की भूमिका	—	14
	10.1 परियोजनाओं की बिडिंग	—	14
	10.2 भूमि बैंक	—	14



10.3	शासकीय भूमि/स्थान के लिये सुविधा	—	14
10.4	अन्य अवस्थापना सहायता	—	14
10.5	प्रशिक्षण	—	15
10.6	वित्तीय व्यवस्था	—	15
11.	उच्च स्तरीय समिति	—	18
11.1	बैठकों की आवृत्ति	—	18
11.2	उच्च स्तरीय समिति के कार्य	—	18
11.2.1	बिडिंग की अनुमति	—	19
11.2.2	थर्ड पार्टी बिक्रय परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन	—	19
11.2.3	एकल खिड़की का अनुश्रवण	—	19
11.2.4	समन्वय	—	19
11.2.5	अन्य	—	19
	शब्दावली	—	40



प्रस्तावना

विद्युत शक्ति और उसकी सुगम उपलब्धता, विकास का स्थापित बेंचमार्क है तथा चँहुमुखी समृद्धि के लिए प्रारम्भिक आवश्यकता है। विद्युत के पर्याप्त और विश्वसनीय स्रोत की उपलब्धता के बिना कोई भी मुख्य क्रियाकलाप सम्भव नहीं है।


पारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों का तेजी से ह्रास हो रहा है तथा इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होने के बढ़ते हुये खतरे के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के समक्ष ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के साथ, ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऊर्जा मिश्रण में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की भागीदारी को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है।

उत्तर प्रदेश राज्य में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इसके दोहन की अपार सम्भावनायें हैं और उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता हेतु इस स्रोत के दोहन के लिये सौर ऊर्जा से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे का होना नितांत आवश्यक है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2013 घोषित एवं अंगीकृत की जाती है।





उद्देश्य एवम् संचालन अवधि





उद्देश्य :

1. राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उत्पादन को सौर ऊर्जा के दोहन के माध्यम से बढ़ावा देना ।
2. सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी निवेश की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजन करना ।
3. जन-साधारण में पर्यावरण जागरूकता का विस्तार करना ।
4. बंजर भूमि के उत्पादक उपयोग में योगदान करना ।
5. कौशल वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों को सृजित करना ।
6. स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं को प्रोत्साहित करना ।
7. राज्य में नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभावी प्रबन्धन के लिए क्षमता का विकास ।

3. संचालन अवधि :

यह सौर ऊर्जा नीति जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी होगी । नीति के संचालन अवधि में स्थापित और कमीशन किये गये ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लान्ट ही इस नीति में प्राविधानित लाभ के पात्र होंगे । भारत सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले सोलर पावर प्लान्ट इस नीति में प्राविधानित लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लान्ट





4. ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लान्ट :

ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना विकासकर्ता द्वारा चिन्हित एवं क्रय की गयी उपयुक्त भूमि बैंक पर की जायेगी। सरकारी भूमि अथवा अन्य स्थल पर परियोजनाओं की स्थापना की दशा में पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा विकासकर्ता का चयन किया जायेगा।

4.1 परियोजना क्षमता :

इस नीति के अन्तर्गत न्यूनतम् पांच मेगावाट क्षमता के सोलर पावर परियोजनायें स्थापित की जानी होगी।

4.2 ऊर्जा का विक्रय :

नीति की संचालन अवधि में स्थापित एवं कमीशन किये जाने वाले सौर ऊर्जा ग्रिड संयोजित परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा का विक्रय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, तीसरे पक्ष अथवा कैपटिव उपयोगार्थ किया जा सकता है।

सोलर पावर प्लान्ट से उत्पादित ऊर्जा को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की किसी राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्कॉम) को विक्रय करने हेतु इच्छुक परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित कुल मेगावाट क्षमता के लिये विकासकर्ता को आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा, बिडिंग में प्राप्त टैरिफ उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के अधीन होगा।

कुल क्षमता 200 मेगावाट से अधिक की बिड प्राप्त होने की दशा में विकासकर्ता का चयन आरोही क्रम में न्यूनतम् कोटेड टैरिफ के आधार पर किया जायेगा। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सफल बिडर के साथ 10 वर्ष का पावर क्रय अनुबन्ध (पीपीए) निष्पादित किया जायेगा।

आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के फलस्वरूप निष्पादित पीपीए में इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित एवम् कमिशनड प्रथम 200मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट के टैरिफ



जिस पर पीपीए हस्ताक्षरित किये जायेंगे एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा केस-1 बिडिंग में प्राप्त टैरिफ के अन्तर को नोडल एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार से बजट मद “सौर स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना” में प्राप्त फण्ड से वहन किया जायेगा। इस योजना का पूर्ण क्रियान्वयन मुख्य सचिव स्तर पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा तथा उच्च स्तरीय समिति योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु निर्देश देने के लिए पूर्णतया सक्षम होगी।

4.3 थर्ड पार्टी को ऊर्जा विक्रय :

सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट स्थापित करने में इच्छुक परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा प्लान्ट से उत्पादित ऊर्जा के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्कॉम) से पी0पी0ए0 करने के स्थान पर थर्ड पार्टी विक्रय करने में इच्छुक होने की दशा में उनके द्वारा बिना निविदा में भाग लेते हुए सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जा सकती है परन्तु भविष्य में भी उनको राजकीय वितरण कम्पनी के साथ पी0पी0ए0 करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे स्थापित किये जा रहे सोलर पावर प्लान्ट को इस नीति के अन्तर्गत क्लॉज 4.2 में प्राविधानित प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्राविधानित प्रोत्साहन प्राप्ति के लिए नोडल एजेन्सी में पंजीकरण कराने के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा तथा नीति में उल्लिखित परियोजना की समयावधि के अनुसार परफारमेन्स बैंक गारण्टी जो कि प्लान्ट कमिशनिंग तक की अवधि तक वैध होगी, उपलब्ध करायी जायेगी।

4.4 कैपटिव पावर प्लान्ट :

कैपटिव उपयोगार्थ 05 मेगावाट क्षमता एवं उससे अधिक क्षमता के विकासकर्ता के परिसर अथवा व्हिलिंग व्यवस्था के साथ परिसर से बाहर स्थापित सोलर पावर प्लान्ट को इस नीति के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।

4.5 परियोजना कार्यान्वयन की समयावधि :

सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजना की कमिशनिंग की समय सीमा पी0पी0ए0 हस्ताक्षरित होने की तिथि से 13 माह होगी तथा सोलर थर्मल परियोजनाओं हेतु 28 माह होगी।





4.6 ग्रिड संयोजन एवं विद्युत निकासी के अवस्थापना व्यवस्था :

सोलर पावर प्लान्ट के सबस्टेशन/स्विचयार्ड से वितरण/पारेषण सिस्टम या “फीड इन सबस्टेशन” तक सम्बन्धित विद्युत निकासी सुविधा यूपीईआरसी के (ग्रान्ट आफ कनेक्टिविटी टू इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम) रेगुलेशन 2010 अथवा समय-समय पर जारी संशोधन के अनुसार राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी/राज्य पारेषण कम्पनी (डिस्कॉम/एसटीयू) के पारेषण सिस्टम से ग्रिड संयोजन प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता का होगा या “फीड इन सबस्टेशन” अर्थात् इन्टरकनेक्शन प्वाइंट तक पारेषण लाईन का व्यय सोलर परियोजना विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। एस0टी0यू0 अथवा राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी जिसके भी अधिकार क्षेत्र में संबंधित “फीड इन सबस्टेशन” होगा, द्वारा पारेषण लाईन बिछाई जायेगी परन्तु पारेषण की कुल लाईन निर्माण लागत सहित, व्हिलिंग चार्ज एवं हानि आदि परियोजना विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा तथा एस0टी0यू0 अथवा राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

4.7 जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबन्ध :

सोलर थर्मल परियोजनाओं में कोई भी जीवाश्म ईंधन अर्थात् कोयला, गैस, लिग्नाईट, मिट्टी का तेल, लकड़ी के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

सोलर फार्म, राज्य औद्योगिक नीति, 2012

एवम्

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत सुविधायें





5. सोलर फार्म

ऐसे सोलर फार्म जहां कई सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र एक स्थान पर लगे हों तथा कुल निवेश रू. 500 करोड़ से अधिक हो उन पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था केस टू केस के आधार पर की जायेगी।

6. राज्य औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत सुविधायें


उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत प्राविधानित समस्त सुविधायें सौर ऊर्जा आधारित विद्युत इकाईयों पर भी लागू होगी।

7. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए सुविधायें

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगाई जाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइन एवं सब स्टेशन के निर्माण पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

लक्षित क्षमता एवम् एकल विण्डो क्लीयरेंस प्रणाली





8. लक्षित क्षमता :


वर्ष 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की प्राप्ति लक्षित है।

9. एकल विण्डो क्लीयरेन्स प्रणाली :

समस्त सोलर पावर परियोजनाओं के लिए एकल विण्डो क्लीयरेन्स के रूप में नोडल एजेन्सी कार्य करेगी। नोडल एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नीति से सम्बन्धित समस्त शासनादेश समयबद्ध तरीके से सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी किये जाये। एकल विण्डो के रूप में नोडल एजेन्सी राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति, अनापत्ति, अनुमोदन, सहमति आदि सुगम कराये जाने का मुख्य कार्य होगा। नोडल एजेन्सी द्वारा एकल विण्डों क्लीयरेन्स के कुछ कार्य आवश्यकतानुसार आऊटसोर्स किये जा सकते हैं। लम्बित अनुमतियों की समीक्षा समय-समय पर उच्च स्तरीय गठित समिति द्वारा की जायेगी।

नोडल एजेंसी की भूमिका





10. नोडल एजेन्सी की भूमिका:

नीति के उद्देश्यों के अनुसार नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना विकासकर्ताओं की सहायता हेतु निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी:-

10.1 परियोजनाओं की बिडिंग

नोडल एजेन्सी द्वारा प्रदेश में सोलर पावर परियोजनाओं की बिडिंग से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का सम्पादन किया जायेगा। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा यदि अपनी उपलब्ध भूमि/स्थान पर सोलर पावर परियोजना स्थापित किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो उक्त परियोजना की बिडिंग भी संबंधित विभाग के अनुरोध पर यूपीनेडा द्वारा सम्पादित की जायेगी। विभागों द्वारा फीजिबिल्टी रिपोर्ट तैयार किये जाने एवं बिड प्रक्रिया प्रबन्धन से संबंधित लागत का वहन द्वारा किया जायेगा। नोडल एजेन्सी द्वारा उक्त सुविधा प्रदान किये जाने के क्रम में अल्प सेवा शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

10.2 भूमि बैंक

उपयुक्त स्थानों पर भूमि बैंक के सृजन का चिन्हान्कन।

10.3 शासकीय भूमि/स्थान के लिये सुविधा

राज्य सरकार या इसकी एजेन्सियों के नियंत्रण में उपयुक्त भूमि/स्थानों के आवंटन की सुविधा।

10.4 अन्य अवस्थापना सहायता

राइट आफ वे, यदि कोई हो, जलापूर्ति एवं संबंधित अवस्थापना जैसे सड़क इत्यादि की व्यवस्था हेतु सहायता।



10.5 प्रशिक्षण

प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थानों के साथ गठबधन कर उपयुक्त मानव शक्ति कौशल का विकास।


10.6 वित्तीय व्यवस्था

बजटीय मद “सौर स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना” के अन्तर्गत उपलब्ध फण्ड का उपयोग कार्यकलाप जैसे बिड प्रक्रिया प्रबन्धन हेतु परामर्शदाता को नियुक्त करने, एकल विण्डो प्रणाली हेतु आऊटसोर्सिंग एवं इस नीति के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले अन्य प्रोत्साहन या प्रदेश में सौर नीति के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्यों में किया जायेगा।



उच्च स्तरीय सभिति





11. उच्च स्तरीय समिति

इस नीति में उत्पन्न विभिन्न प्रकरणों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जायेगा। समिति के निम्न सदस्य होंगे :—

● मुख्य सचिव	अध्यक्ष
● अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
● सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	सदस्य
● सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
● सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
● सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई	सदस्य
● सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
● सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
● प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल	सदस्य
● प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल	सदस्य
● प्रबन्ध निदेशक, संबंधित डिस्काम	सदस्य
● निदेशक यूपीनेडा	सदस्य सचिव

11.1 बैठकों की आवृत्ति

समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर एवं जब भी आवश्यक हो आयोजित की जायेगी।

11.2 उच्च स्तरीय समिति के कार्य

समिति द्वारा निम्न प्रकरणों पर विचार एवं निर्णय किया जायेगा।



11.2.1 बिडिंग की अनुमति

सोलर पावर परियोजनाओं की कुल मेगावाट क्षमता के लिये प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान करना ।

11.2.2 थर्ड पार्टी बिक्रय परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन

इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन लाभ की इच्छुक सभी थर्ड पार्टी बिक्रय सोलर पावर परियोजनाओं को प्रोत्साहन हेतु पात्रता का अनुमोदन उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा ।

11.2.3 एकल खिडकी का अनुश्रवण

एकल खिडकी प्रणाली के कार्यों का अनुश्रवण ।

11.2.4 समन्वय


समय समय पर आने वाले अन्य अन्तर्विभागीय प्रकरणों का समाधान ।

11.2.5 अन्य

अन्य कोई प्रासंगिक विषय ।



शब्दावली





शब्दावली

1. 'सीईआरसी' का तात्पर्य केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग।
2. 'राज्य वितरण कम्पनी' का तात्पर्य राज्य स्वामित्व विद्युत वितरण कम्पनी यथा मध्यांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड या कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी जो भी विशेष प्रकरण में लागू हो।
3. 'सरकार' एवं 'प्रदेश' का तात्पर्य क्रमशः उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य।
4. 'एमएनआरई' का तात्पर्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार।
5. 'नोडल एजेन्सी' का तात्पर्य जैसा कि नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्रुप-1 टाईप परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) तथा ग्रुप-2 (पायलट) टाईप परियोजनाओं हेतु राज्य सिंचाई विभाग निर्दिष्ट किये गये हैं।
6. 'पीपीए' का तात्पर्य पावर क्रय अनुबन्ध।
7. 'राज्य पारेषण कम्पनी' का तात्पर्य राज्य स्वामित्व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड।
8. 'यूपीईआरसी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।